

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 फरवरी 2019—माघ 22, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. एफ ए 3-61-2017-1-पांच-(21).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (77) दिनांक 4 सितम्बर 2018, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक (क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) श्री अविनाश लवानिया, राज्य कर विशेष आयुक्त”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2019

क्र. एफ ए 3-61-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-61-2017-1-पांच (21), दिनांक 11 फरवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 11th February 2019

No. F A 3-61-2017-1-V-(21).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 123 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F-A-3-61-2017-1-V(77) dated 4th September, 2018, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, the Serial No. (a) and entries thereto shall be substituted by following Serial No. (a) and entries:—

“(a) Shri Avinash Lavania, Special Commissioner of State Tax”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.